विवरण

(क) भारत में फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में है तथा देश में निर्मित फिल्मों की औसत संख्या (राज्यवार) के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे केवल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों के बारे में ही है । कैलेंडर वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "यू", "ए" तथा "यू ए" श्रेणियों में प्रमाणित फीचर फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

वर्ष	प्रमाणित फिल्मों की कुल संख्या	"यू"	"ए"	"यूए"
1985	912	525	284	103
1986	840	505	212	123

केन्द्रीय सरकार की फिल्मों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है । वित्तीय वर्ष 1985--86 तथा 1986-87 के दौरान उसने फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए क्रमश: 46.87 लाख रुपये तथा 53.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी ।

(ग) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले प्रत्येक फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा तदन्तर्गत जारी किए गए चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रमाणित किया जाता होता है । मौजूदा कानूनों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को काफी व्यापक पाया गया है । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि, अन्य बातों के साथ साथ, हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहरायी जाएं, हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाएं और अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानसिक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए ।

फिल्म अकादमी

2106. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म अकादमी प्रवर्तमान है ;

(ख) क्या इसका गठन करने के संबंध में कोई मांग या विचार प्रस्तुत किया गया है; और यदि हां, तो किसकी ओर से; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और इसका गठन कब तक हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) जी, नहीं ।

(ख) फैडरेशन आफ फिल्म सोसाइटीज आफ इंडिया और कुछ फिल्मी हस्तियों से राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्यदल द्वारा संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की तरह चलचित्र अकादमी की स्थापना करने के बारे में की गई सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इस मंत्रालय की यह राय है कि चलचित्र अकादमी जैसा नया ढांचा रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की अकादमी द्वारा जिन कार्यों को किए जाने की परिकल्पना है, वे फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, बाल चित्र समिति और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पहले ही किए जा रहे हैं ।